

पत्रांक -3/एम०-80/2022सा0प्र0...16458/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

ई-मेल सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12.9.2022

विषय- बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-15498 दिनांक-01.09.2022 द्वारा बिहार सरकार के विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 05 दिवसीय/06 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली के तहत निर्धारित समय पर Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश परिचारित किया गया है।

2. तत्कालीन कार्मिक विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या-469 दिनांक-09.07.1975 एवं 675 दिनांक-26.08.1976 द्वारा कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में कतिपय निदेश भी परिचारित है।

3. कतिपय विभागों/कार्यालयों में ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय के अनुरूप Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

4. वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निदेश दिया जाता है कि-
(i) विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार (बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार) की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी को एक महीने में अधिकतम 02 दिन विलम्ब से उपस्थित होने की छूट दी जायेगी।



(ii) यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग/कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित समय से 01 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित की जायेगी।

(iii) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि विलम्ब से उपस्थिति बार-बार दर्ज किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

(iv) सरकार/सक्षम प्राधिकार के निदेश पर कार्यालय अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय/किसी अन्य न्यायालय/लोकायुक्त का कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने/राज्य सूचना आयोग/किसी अधीनस्थ कार्यालय आदि में व्यस्तता के कारण विलम्ब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है, तो ऐसे विलम्ब की उपेक्षा की जायेगी।

5. अतः बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में उपर्युक्त कंडिका-4 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश अपने अधीनस्थ को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


(डॉ० बी० राजेन्द्र)
12-9-2022
सरकार के प्रधान सचिव।